संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी

ऑफिस काम्पलेक्स "बी" ब्लाक, गौतम नगर, भोपाल–462023

0000

क्रमांक / तक / डीबीटी / 2019–20 / 2397 भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2020

प्रति,

निर्माता

..............................(समस्त)

विषयः–कृषि यंत्रों की टेस्ट रिपोर्ट की वैधता बढ़ाने के संबंध में।

संदर्भः–शासन का पत्र कमांक F 13-13/2020-M&T (I&P) दिनांक 22 दिसम्बर 2020

––00––

ई–कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर पंजीकृत समस्त निर्माताओं को सूचित किया गया था कि भारत सरकार द्वारा पूर्व में ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्रों की टेस्ट रिपोर्ट वैधता कमांक 5 एवं 7 वर्ष निर्धारित की गई थी। इस समयावधि उपरांत निर्माताओं को अपनी सामग्री की बैच टेस्टिंग करा कर नवीन टेस्ट रिपोर्ट 31 दिसम्बर 2020 तक जमा कराई जानी थी। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण भारत सरकार द्वारा कृषि यंत्रों की बैच टेस्टिंग मे बिलंब होने की संभावना को देखते हुये समस्त टेस्ट रिपोर्ट की वैधता को भारत सरकार द्वारा 31 मार्च 2021 तक जारी रखा है।

अतः उक्त निर्देश के तारतम्य में सभी टेस्ट रिपोर्ट 31 मार्च 2021 तक मान्य की जावेगी।

संचालक, कृषि अभियांत्रिकी
म.प्र. भोपाल

Scanned by TapScanner